कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक– 821 Po/Road Cutting NOC दिनांक– 18 / 11 / 2016

सेवा मे,

Reliance Jio Infocomm Limited
3rd Floor,Maker Chimbers IV 222
Nariman Point Mumbai.

विषयः राष्ट्रीय मार्ग संख्या– 121 के कि0मी0 27.00 (लखनपुरी चुंगी) से 63.00 मरचूला में ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु रोड कटिंग के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– जिलाधिकारी,नैनीताल के पत्रांक– 574/23–स्थानीय निकाय/2016–17 दिनांक 08–11–2016

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में भारत सरकार परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या RW/NH-33044/27/2005/S&R (R) (PT),दिनांक 07–08–2016 में दिये गये निर्देशानुसार एंव जिलाधिकारी,नैनीताल के पत्र संख्या– 502/23–स्था0–नि0लि0/2016,दिनांक 06–10–2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में राष्ट्रीय मार्ग संख्या–121 के कि0मी0 27.00 (लखनपुरी चुंगी) से 63.00 मरचूला में ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति निम्न शर्तानुसार प्रदान की जाती है।

1– प्रति 5.00 कि0मी0 में कम्पनी द्वारा एक समय पर 200 मीटर मार्ग खोदा जायेगा। मार्ग पुनः सुचारू करने के साथ कम्पनी अग्रेत्तर मार्ग पर कार्य कर सकती है।

2– कार्य के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा तथा मार्ग अवरूद्व यातायात हेतु प्रभावित न हो।

3– ट्रैन्च खुदान के समय रोड सेफ्टी का पूर्ण ध्यान रखा जाय एंव लाल झण्डियों एंव कार्य प्रगति सम्बन्धी सूचना पट्ट अवश्य लगाये जाये। ट्रैन्च खुदान एंव ओ0एफ0सी0 केबिल डालने के उपरान्त मार्ग को पूर्व की स्थिति में लाना होगा एंव इस बीच यातायात को सुचारू रखने की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। ट्रैन्च खुदान के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

4– कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परिसम्पत्ति को क्षति पहुँचती है तो आपको अपने व्यय पर उसे ठीक कराना होगा अथवा मुआवजा देय होगा।

5– विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण एंव अन्य कोई कार्य किये जाने पर केबिल/पाइप आदि की शिपिटंग की आवश्यता होती है तो आप अपने व्यय पर अपने पाइप लाईन आदि की शिपिटंग की कार्यवही करेंगे।

6– ट्रैन्च खुदान सिर्फ पटरी या नाली में किया जाये मार्ग की पेन्टेड सतह को क्षति न पहुँचायी जाय।

7– पर्वतीय क्षेत्र में 1 मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.5 मीटर गहराई पर ओ0एफ0सी0बिछायी जायेगी।

8– यदि भविष्य में मार्ग का निर्माण/पुनः निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है एंव उसमें क्षतिग्रस्त होती है तो ऐसी स्थिति में इस विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

कमशः पेज 2 पर

9– यह अनुमति एक लम्बाई में एक ही बार ट्रेन्च खुदान हेतु दी जा रही है।

10– यदि प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य टूट फूट होती या लो0नि0वि0 की परिसम्पत्तियाँ क्षतिगस्त होती है तो उसके अलग से रेस्टोरेशन चार्जेज जमा करेंगें।

11 –किसी भी मार्ग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लो0नि0वि0 को अवगत कराना आवश्यक होगा।

12– MOU की शर्तो का पालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकती हैं।

18/11/16

(महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड,लो0नि0विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक– / दिनांक– 11/2016

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी,नैनीताल को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, परियोजना समन्वय समिति /अधीक्षण अभियन्ता,द्वितीय वृत्त,लो0नि0वि0,नैनीताल को उनके पत्रांक–6105/510सी0–2/2016,दिनांक 9–11–2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि –सहायक अभियन्ता,द्वितीय,रा0मा0खण्ड,लो0नि0वि0,हल्द्वानी।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड,लो0नि0विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)